न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या : 01/2011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जिनेशचन्द्र यति पुत्र केवलचन्द यति जाति यति जैन निवासी जैन मन्दिर के पास, मारवाड जंक्शन		1. शिवराम 2. वचनाराम पुत्र टिकु जी 3. छोगा 4. धोकल 5. गोपु पि0 गणेशजी 6. त्रिलोकराम पुत्र लिखम जी 7. सोहनलाल पुत्र लिखम जी 8. पुखा पुत्र गणेश जी के का0मु0 8.1 हिरालाल पुत्र पुखाराम 8.2 तेजाराम पुत्र पुखाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण पिपलिया कला तहसील रायपुर 9. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच पिपलिया कलां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/2/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पिपलिया का नामान्तरकरण संख्या 1 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक ..... को अपास्त कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पिपलिया कला तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 461 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के दादा लब्धीसागर व पिता केवलचन्द चेला हेमसागर कौम गुरा यति डोलीदार की खुदकाश्त कब्जासुदा कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिस भूमि का उन्होने अपने जीवनकाल में कोई बेचान नहीं किया, साक्ष्य के तौर पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2011 को राज्य अभिलेखागार अजमेर में नकल हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि उक्त दिनांक को किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं होना पाया जाता है। इस प्रकार जो नामान्तरकरण दायर किया गया है, वह विधि विरूद्ध रूप से दायर किया है। नामान्तरकरण में वर्णित भूमि डोली की भूमि है, जो किसी भी रूप में अन्तरण योग्य नहीं थी, फिर भी मिथ्या तौर पर उक्त भूमि को अप्रार्थी के पूर्वजों के नाम से खरीदना बताकर नामान्तरकरण संख्या 1 स्वीकार किया गया है, जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी ऐसे फर्जी नामान्तरकरण से सम्बन्धित पक्षकार के विरूद्ध आपराध प्रकृति का मुकदमा दर्ज करवाता, किन्तु जिसके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ, जिन्होने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किया, वह आज मौजूद नहीं होने के कारण उक्त कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण की सत्यता के तौर पर जांच कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर जो कुठाराघात हुआ है, नामान्तरकरण निरस्त होने से प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा, अन्यथा प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार का जो संवैधानिक अधिकार है, से महरूम होना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पिपलिया के नामान्तरकरण संख्या 1 को निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पिपलिया के खसरा नम्बर 461, 645, 466, 462 व 463 की भूमि जो लबदीसागर, केवलचन्द चेला हेमसागर की खुदकाश्त की भूमि थी एवं उनके द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम बेचान नामा निष्पादित किया, जो उप पंजीयक खारची (मारवाड जंक्शन) द्वारा दिनांक 18.02.1955 को पंजीबद्ध किया गया। इस बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 29.08.1958 को स्वीकार किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में जागीर के जो प्रकार बताये गये है, उनमें क्रम संख्या 38 पर डोली का अंकन है, अर्थात डोली एक जागीर का प्रकार है तथा डोली की जागीर होने के कारण ही खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में लबदीसागर, केवलचन्द चेला हेमसागर के नीचे डोलीार शब्द अंकन किया गया। तत्समय प्रचलित राजस्व अभिलेख में खुदकाश्त के खातेदार होने के कारण बेचानकर्ता को भूमि बेचने का पूरा अधिकार था तथा विधिवत पंजीयन की कार्यवाही की गई तथा नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। जिसे 50 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को रेफरेन्स आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नही है तथा नामान्तरकरण के प्रकरण में मात्र भू अभिलेख नियमों के अनुसरण में ही कार्यवाही की जाती है तथा उक्त नियमों का कोई उल्लंघन नामान्तरकरण पारित करते समय नहीं हुआ है। जिस नामान्तरकरण के विरूद्ध रेफरेन्स का अनुतोष प्रार्थी द्वारा चाहा गया है, वह नामान्तरकरण विक्रय पत्र दिनांक 18.02.1955 के पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर दायर किया गया है, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से पंजीबद्ध है। जिसे रेफरेन्स के माध्यम से आक्षेपित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्राईवेट पक्षकार द्वारा रेफरेन्स नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में सरकार का हित अथवा लोक नीति का कोई प्रश्न निहित नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 563, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 412, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1060, आर0आर0डी0 2012 पेज 489, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 410 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन, अनुशीलन एवं परीक्षण किया एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। ग्राम पिपलिया का नामान्तरकरण संख्या 1 में अंकित इबारत अनुसार ग्राम पिपलिया के खसरा नम्बर 461, 462, 463, 464, 465, 466 की भूमि लकीसागर, केवलचन्द चेला हेमसागर कौम गुरो जती डोलीदार की दर्ज होने से उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 06.01.1955 के आधार पर गुणेशराम वल्द पेमाराम 1/2, गुणेश वल्द चुतराराम 1/2 कौम पटेल (खेतीगर) सा0 देह के नाम दायर किया गया। प्रार्थी द्वारा स्वयं को कलीसागर, केवलचन्द का वारिश बताते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार यह लिया गया है कि उक्त बेचान उनके पूर्वजों द्वारा किया ही नही गया, साथ ही यह भी अंकित किया कि उक्त भूमि डोली की भूमि थी, जिसका बेचान हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता था। इस आधार पर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित कराने का अनुतोष चाहा है। इन कथनों के समर्थन में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी द्वारा बेचान दिनांक 21.08.58 से 13.06.59 तक की अवधि में बेचान दस्तावेज पंजीयन नहीं होना बताते हुए प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय अभिलेखागार पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर बेचान को संदेहास्पद बताया। प्रार्थी के इन तथ्यों के विरोध में अप्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उनमें मुख्य रूप से उक्त बेचान नामा है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण दायर किया गया है। इस बेचाननामे के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लबदीसागर, केवलचन्द चेला हेमसागर द्वारा उक्त भूमि का बेचान गुणेशराम वल्द पेमाराम, गुणेश वल्द चुतराराम कौम पटेल को दिनांक 18.02.1955 को बेचान किया गया है तथा उक्त बेचान दस्तावेज उप पंजीयक खारची (मारवाड जंक्शन) द्वारा दिनांक 19.03.1955 को पंजीबद्ध किया गया है। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 से 16 में अंकित इन्द्राज से इसकी पुष्टि होती है।

अब प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्राईवेट व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को रेखांकित किया जाना आवश्यक है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है कि " आयुक्त या बन्दोबस्त आयुक्त, निदेशक या कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा विनिश्चय किसी भी मामले या की गई कार्यवाहीयों का अभिलेख, पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य तथा कार्यवाहियों की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोगार्थ मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। और यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियां या पारित आदेश को फैरफार कर रद्द करना, या उलट दिया जाना चाहिये, तो वह उस मामले को उस पर अपनी राय के साथ यदि वह मामला न्यायिक प्रकार का है या बन्दोबस्त से संबंधित है, तो आदेशार्थ बोर्ड को, या यदि वह मामला बन्दोबस्त से संबंध नहीं रखने वाला इतर न्यायिक प्रकार का है तो राज्य सरकार को निर्देशित करेगा और बोर्ड अथवा राज्य सरकार यथास्थिति उस पर ऐसा आदेश पारित करेगी, जो वह उचित समझे।" इस धारा के अधीन यह भी देखा जाना है कि प्रकरण में किन्ही पक्षकारों के बीच नामान्तरकरण के विवाद के आधार पर रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? प्रस्तुत प्रकरण में जिस नामान्तरकरण पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है, वह नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 19.03.1955 के आधार पर दायर किया गया है, जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम दिनांक 01.07.1956 से प्रवृत्त हुआ है। इस प्रकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू होने से पूर्व ही उक्त भूमि का बेचान किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त प्रकरण में किसी प्रकार से सरकार का हित अथवा लोक नीति अन्तर्वलित होना प्रतीत नहीं होता है। आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 563 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्री भगवानदास चेरीटेबल ट्रस्ट में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "प्राईवेट पक्षकारों के बीच नामान्तरकरण के सम्बन्ध में विवाद–सरकार का हित अथवा लोक नीति के अन्तर्ग्रस्त होने का प्रश्न नही – नामान्तरकरण के साक्ष्यांकित करने के आदेश के विरूद्ध अपील लम्बित है–निर्णित रेफरेन्स पोषणीय नही है।" इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग निजी पक्षकारों के मध्य विवादित प्रश्न के निराकरण हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता और रेफरेन्स मात्र उन्ही प्रकरणों में किया जाना न्यायोचित है, जिससे राज हित प्रभावित होते हो अथवा लोक नीति के विरूद्ध हों। रेफरेन्स प्रक्रिया का उपयोग निजी खातेदारों के अधिकारों की पुर्नस्थापना हेतु नही किया जा सकता है। आर0आर0डी0 1977 पेज 461, आर0आर0डी0 1980 पेज 656 व 603 तथा आर0आर0डी0 1991 पेज 101 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि निजी प्रकरणों के रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 में यह अंकित किया कि "प्रार्थी उक्त मामले की सत्यता के तौर पर जांच कराने हेतु श्रीमान के यहां रेफरेन्स आवेदन कर रहा है, जिसे तय करवाने हेतु उक्त म्यूटेशन को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भेजा जाना न्यायसंग है, जिससे

प्रार्थी के हक अधिकारों पर जो कुठाराघात हुआ, लेकिन म्यूटेशन निरस्त होन से न्याय मिल सकेगा, वरना प्रार्थी अपने खातेदारी हक अधिकार का जो संवैधानिक अधिकार है, उससे महरूम रहना पडेगा।" इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हस्तगत प्रकरण विशुद्ध रूप से प्रार्ववेट पक्षकारों के मध्य का विवाद है, जिसे रेफरेन्स के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है, जो किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण प्रभारी अधिकारी भू0अ0 शाखा को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/4/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली